



बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फ़ैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brpls.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-Livestock/1726/20/522

दिनांक: 17.06.2021

कार्यालय आदेश

सामुदायिक संगठनों द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत नवसृजित/विकसित सार्वजनिक जलाशयों के रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।

1. परिचय:-

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए "जीविका" को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में जीविका में 10 लाख 28 हजार स्वयं सहायता समूहों (SHG), 65,212 ग्राम संगठन (VO) और 1,240 संकुल स्तरीय संघ (CLF) के माध्यम से 1.28 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका जुटाने, उन्हें सशक्त बनाने और बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है।

बिहार में जल संसाधन संरचना, जल संरक्षण के समग्र विकास और उसके संस्थागत प्रबंधन के उद्देश्य से "जल-जीवन-हरियाली" मिशन कार्यान्वित है। यह अभियान बिहार के सभी 38 जिलों में तालाब, डैम और आहर/पाइन्स का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करके भविष्य में होने वाली जल की कमी से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की योजना है। यह एक बहु-आयामी अभियान है जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने एवं पर्यावरण की रक्षा करने/भूजल का स्तर बढ़ाने और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने के लिए गतिविधियाँ की जा रही हैं।

इस अभियान के तहत नव सृजित एवं विकसित सार्वजनिक तालाबों के रखरखाव और जीविकोपार्जन के उद्देश्य से जीविका के सामुदायिक संस्थानों को आवंटित किये जाने हैं। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या - ग्रा०वि०वि०-6- एन/.एम.एल.आर.0-01/2021/366308 दिनांक -21.01.2021 एवं तत्सम्बंधि निर्गत दिशा निर्देश का पत्रांक संख्या 438503 -दिनांक 08-/04/2021 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत किया गया है। इस आलोक में जीविका अब समुदाय-आधारित मत्स्य पालन एवं समेकित मत्स्य पालन जैसी गतिविधि को बढ़ावा देगी जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं को जीविकोपार्जन के एक अन्य अवसर प्राप्त होंगे।


2. उद्देश्य:-

1. जीविका के सामुदायिक संस्थानों द्वारा तालाबों /आवंटित तालाबों का सतत रखरखाव एवं प्रबंधन।
2. मत्स्य पालन संबंधित जीविकोपार्जन गतिविधियों द्वारा आमदनी में वृद्धि लाना।
3. जीविकोपार्जन गतिविधियाँ जैसे मत्स्य पालन, बत्तख पालन समेकित कृषि, पार्क एवं पर्यटन इत्यादी द्वारा आमदनी में वृद्धि लाना।

3. कार्यनीति:-

- i. प्रारम्भ में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाए गए सार्वजनिक जलाशयों को जीविका के सामुदायिक संस्थानों यथा ग्राम संगठन (VO)/ Nodal ग्राम संगठन को जीविकोपार्जन गतिविधि हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए निःशुल्क आवंटित किया जाएगा। उक्त अवधि में जलाशयों के रखरखाव कि जिम्मेदारी VO/नोडल VO की होगी। आवंटित जलाशयों का पुनः निःशुल्क नवीनीकरण या निरंतरता सामुदायिक संस्थानों द्वारा सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा।
- ii. आवंटित तालाबों का उपयोग सामुदायिक संस्थानों द्वारा मत्स्य पालन, बत्तख पालन समेकित कृषि, पार्क एवं पर्यटन इत्यादी द्वारा आमदनी में वृद्धि लाना एवं संबंधित जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
- iii. जीविका द्वारा जीविकोपार्जन गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए मछली उत्पादक समूहों (FPG's) का गठन किया जाएगा। इसका वृहत रूप से क्रियान्वयन करने हेतु मछली उत्पादक कंपनी का गठन किया जा सकता है।
- iv. जीविका के स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य ही मछली उत्पादक समूह (FPG) के सदस्य होंगे। मछली उत्पादक समूहों (FPG's) के सम्मोषण के लिए VO/नोडल VO उत्तरदायी होगा।
- v. FPG के सदस्यों की तकनीकी सहायता एवं क्षमता वर्धन के लिए एक मत्स्य सखी को CLF/नोडल VO स्तर पर चयनित किया जायेगा। मत्स्य सखी जलाशयों के क्षेत्रफल एवं VO/नोडल VO से तालाब की दूरी के अनुसार 5-10 FPG's को सेवाएं प्रदान करेगी।
- vi. मछली पालन संबंधित जीविकोपार्जन गतिविधि को चलाने में मत्स्य सखी VO/नोडल VO को आवश्यक सहयोग करेंगे।
- vii. सार्वजनिक तालाबों के प्रबंधन एवं जीविकोपार्जन गतिविधियाँ हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, के साथ अभिसरण कर तकनीकी एवं विभागीय योजनाओं से आवश्यक सहायता ली जाएगी।
- viii. मत्स्य पालन/समेकित मत्स्य पालन हेतु जीविका द्वारा सामुदायिक संगठन (VO/नोडल VO) को निधि उपलब्ध करायी जायेगी।
- ix. VO/नोडल VO स्तर पर मत्स्य समिति का गठन किया जाएगा जिसमें VO/नोडल VO के OB सदस्य एवं FPG के सदस्य शामिल होंगे। समिति द्वारा जलाशय से सम्बंधित गतिविधियों कि निगरानी कि जाएगी जैसे - निधि का प्रबंधन, मत्स्य पालन का परिचालन, मत्स्य सखी का मासिक भुगतान इत्यादी।

4. संस्थागत संरचना:-



(Handwritten signature)

5. कार्यान्वयन प्रक्रिया:-

जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विकसित सार्वजनिक तालाबों का जिला प्रशासन द्वारा जीविका को आवंटन -

5.1. आवंटन हेतु जलाशयों की सूची निर्गत करने की प्रक्रिया:-

- ❖ जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत नव सृजित/विकसित सार्वजनिक जलाशयों की विस्तृत सूची जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुलग्नक प्रपत्र -1 के अनुसार निर्गत की जाएगी। गठित समिति का स्वरूप निम्न होगा -

जिला पदाधिकारी -	अध्यक्ष
अपर समाहर्ता -	उपाध्यक्ष
जिला मत्स्य पदाधिकारी -	सदस्य
जिला पंचायती राज पदाधिकारी -	सदस्य
कार्यपालक पदाधिकारी, (नगर इकाई) -	सदस्य
जिला पशुपालन पदाधिकारी -	सदस्य
जिला वन अधिकारी -	सदस्य
जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)-	सदस्य सचिव

- ❖ उक्त सूची को समय-समय पर जिला पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अद्वतन किया जायेगा।
- ❖ संलग्न प्रपत्र - 1 के अनुसार विस्तृत सूची निर्गत करने से पूर्व समिति द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले जलाशयों का निरीक्षण एवं सत्यापन कराया जायेगा।
- ❖ उक्त समिति द्वारा प्राप्त सूची में अंकित जलाशयों का निरीक्षण कर जीविकोपार्जन गतिविधियों के संचालन हेतु उपयुक्त जलाशयों की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- ❖ इस प्रकार चिन्हित एवं अनुसंशित सूची को जिला पदाधिकारी द्वारा जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों को रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु आवंटित करने की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के यथा संभव प्रथम सप्ताह में की जाएगी।
- ❖ समिति द्वारा आवंटित जलाशयों के वार्षिक आय-व्यय, रख-रखाव एवं प्रबंधन स्थिति एवं उपयोगितावाद्धन की संभावनाओं की समीक्षा की जाएगी।

5.2. जलाशयों के आवंटन हेतु प्रस्ताव की प्रक्रिया:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सूची के अनुसार जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय कर आवंटन हेतु प्रस्ताव अनुलग्नक प्रपत्र-2 के अनुसार तैयार कराया जायेगा।

- ❖ जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका आवेदन को सत्यापित कर आवंटन हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जलाशयों के रख-रखाव एवं जीविकोपार्जन गतिविधियों के संचालन हेतु जीविका के सामुदायिक संगठनों (VO/नोडल VO) को निःशुल्क आवंटित किया जायेगा एवं सम्बंधित सामुदायिक संगठनों को आवंटन पत्र (अनुलग्नक प्रपत्र-3) निर्गत किया जायेगा।
- ❖ सामुदायिक संगठनों को पांच वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक जलाशयों का आवंटन किया जायेगा एवं आवंटन का नवीनीकरण अगले पाँच-पाँच वर्षों के लिए सफल क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा।
- ❖ आवंटित तालाबों को जीविका प्रोत्साहित सामुदायिक संगठनों द्वारा निजी संस्थानों / व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- ❖ आवंटित तालाबों का स्वामित्व हमेशा सम्बंधित विभाग का ही होगा।

5.3. ग्राम संगठन (VO) / नोडल VO का चयन:-

VO / नोडल VO के चयन की प्रक्रिया जिला प्रशासन से आवंटन हेतु सार्वजनिक जलाशयों को चिन्हित कर सूची प्राप्त होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

- जिस गाँव में एक ग्राम संगठन होगा, वहां तालाब का आवंटन संबंधित ग्राम संगठन को किया जायेगा।
- जिस गाँव में दो या दो से ज्यादा ग्राम संगठन है, वहां नोडल ग्राम संगठन के चयन की प्राथमिकता हेतु निम्नलिखित मापदंड होंगे:-
 1. अनुभवी एवं इच्छुक सदस्य ज्यादा हों।
 2. पुराने ग्राम संगठन को प्राथमिकता दी जायेगी।
 3. प्रशिक्षित बुक कीपर कार्यरत हो।
 4. लेखा पुस्तिका का नियमित रूप से संधारण होता हो।
 5. पूर्व में जीविकोपार्जन गतिविधियों का क्रियान्वयन का अनुभव हो।

5.4. मछली उत्पादक समूह के सदस्यों का चयन:-

- FPG's की सदस्यता केवल जीविका के समूहों से जुड़े सदस्यों को ही दी जाएगी एवं सदस्यों का चयन VO / नोडल VO की बैठक में निम्नलिखित मापदंड के अनुसार होगा:-
 1. संबंधित ग्राम के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 2. वैसे सदस्य जिन्हें मछली पालन या जलाशय संबंधित जीविकोपार्जन गतिविधियों का अनुभव हो।
 3. सदस्य जो मत्स्य पालन हेतु इच्छुक हो एवं किसी संस्था द्वारा मत्स्य पालन में प्रशिक्षित हो।
 4. देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री के बंद होने के उपरांत प्रभावित परिवार।
 5. जिसका मासिक आय 5000/- रुपये से कम हो।
 6. भूमिहीन सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 7. जिन सदस्यों का Repayment दर 90% से अधिक हो।

- नोट:-
1. एक परिवार से एक ही सदस्य होना चाहिए।
 2. ग्राम संगठन के OB सदस्यों में से अधिकतम एक सदस्य को लाभुक बनाया जा सकता है।

5.5. ग्राम संगठन / नोडल ग्राम संगठन का कार्य:-

1. जलाशयों का रख-रखाव एवं प्रबंधन।
2. मापदंड के अनुसार लाभुकों का चयन।
3. स्थानीय संसाधनों का आकलन।
4. व्यापार योजना तैयार करना एवं प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (BPIU) में राशि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन जमा करना।
5. एतदर्थ प्राप्त राशि का वित्तीय प्रबंधन एवं उसका लेखांकन सुनिश्चित करना।

6. उपलब्ध राशि का सदुपयोग करते हुए ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र BPIU को प्रेषित करना।
7. गतिविधि संबंधित “खरीददारी सामुदायिक अधिप्राप्ति नियमावली” के अनुसार सुनिश्चित करना।
8. जलाशयों एवं उसके उत्पादन का मूल्यांकन करना।
9. मासिक प्रगति की समीक्षा करना।
10. विवादों को स्थानीय स्तर पर निपटारा करना।
11. DPCU / BPIU द्वारा तत् उद्देश्य सौंपे गए अन्य कार्य।

5.6. FPG सदस्यों का कार्य:-

1. गतिविधियों का चयन।
2. मछली पालन से संबंधित चयनित गतिविधि के शुरू करने से पूर्व की तैयारी।
3. संबंधित गतिविधियों द्वारा चलाये जा रहे मत्स्य संबंधित योजना के लिए समन्वय स्थापित करना।
4. जलाशयों के रख-रखाव एवं मत्स्य पालन से संबंधित दैनिक कार्यों का संपादन एवं निगरानी करना।

5.7. संसाधनों की मैपिंग और जलाशय स्तर पर FPG द्वारा गतिविधि का चयन:-

सार्वजनिक तालाब का संसाधन मैपिंग किया जायेगा जिसमे जल स्रोत की उपलब्धता, मिट्टी का प्रकार, मत्स्य उत्पादन उपयुक्त जलवायु स्थिति, सड़क संयोजकता, मत्स्य पालन हेतु आवश्यक संसाधन एवं उपज की आपूर्ति के लिए उपलब्ध बाजार आदि का जायजा लिया जायेगा।

तालाब स्तर पर गतिविधि के चयन के लिए संसाधन मैपिंग महत्वपूर्ण होगी। FPG's में संसाधनों कि उपलब्धता के अनुकूल गतिविधि का चयन किया जायेगा। जलाशयों का उपयोग सामुदायिक संगठनों द्वारा जीविकोपार्जन गतिविधियाँ यथा – मत्स्य पालन, बत्तख पालन, समेकित कृषि, पार्क एवं पर्यटन इत्यादी में किया जायेगा। संसाधनों की मैपिंग की प्रक्रिया BPM/ LHS / BPIU जीविकाकर्मी द्वारा जिला मत्स्य अधिकारी और जिला पशुधन प्रबंधक (जीविका) के मार्गदर्शन में की जाएगी।

5.8. मत्स्य सखी का CLF/ नोडल VO स्तर पर चयन/ भूमिका का प्रशिक्षण:-

मत्स्य सखी का चयन, कार्य एवं मानदेय भुगतान प्रक्रिया अनुलग्नक प्रपत्र -6 में उल्लेखित है।

प्रशिक्षण:-

मत्स्य सखी की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठित संस्थानों (ICAR¹/कृषि/पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय/मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र/अन्य SRLM/अन्य तकनीकी संस्थानों) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

5.9. FPG's का गठन और चयनित गतिविधि के आधार पर FPG द्वारा निधि प्रस्ताव के लिए VO /नोडल VO में व्यवसाय योजना (Business Plan) का प्रस्तुतीकरण:-

FPG मत्स्य सखी एवं जीविकाकर्मी के मार्गदर्शन में चयनित गतिविधि के आधार पर व्यवसायिक योजना तैयार कर संबंधित ग्राम संगठन / नोडल ग्राम संगठन में प्रस्तुत करेंगे। तदोपरांत VO/नोडल VO व्यापार योजना पर मूल्यांकन करते हुए तदनु रूप आवश्यक निधि हेतु BPIU को प्रस्ताव समर्पित करेंगी। (अनुलग्नक प्रपत्र 5.A से 5.B)

5.10. आपदा प्रबंधन:-

1. आपदा प्रभावित क्षेत्र में मछली पालन गतिविधि के आपदा से बचाव हेतु VO/ नोडल VO द्वारा तालाबों पर आवश्यक सुरक्षात्मक गतिविधि किया जा सकेगा।
2. प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य विषम परिस्थितियों में जलाशय प्रबंधन हेतु विशेष प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग एवं सम्बंधित विभागों से समन्वय कर किया जा सकेगा।
3. VO/ Nodal VO के द्वारा आवश्यकतानुसार निर्णय लेकर जलाशयों का बीमा कराया जा सकता है।

6. निधि प्रवाह संरचना:-

FPG's से प्राप्त व्यावसायिक योजनाओं (अनुलग्नक प्रपत्र 5.A से 5.C) का संबंधित VO/नोडल VO द्वारा मूल्यांकन कर BPIU में निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव दिया जायेगा। BPIU द्वारा प्रस्ताव की सम्यक समीक्षा कर VO/ नोडल VO को निधि जारी करने के लिए DPCU को अनुशंसा की जाएगी। तदनु रूप DPCU द्वारा VO/ नोडल VO को आवश्यक निधि उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकतम राशि अनुलग्नक प्रपत्र 5.A से 5.B अनुसार देय होगी।

7. संबंधित कार्य एवं जिम्मेदारियां:-

कार्य	जिम्मेदारी
FPG's का गठन	AC / CC / LHS
परियोजना कर्मी का प्रशिक्षण	Manager - LS
मत्स्य सखी का प्रशिक्षण	Manager - LS
बुक ऑफ रिकॉर्ड की छपाई	Proc. Mgr., Mgr. -LS, DPM
बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशिक्षण	Mgr.CF / Manager - LS
बुक ऑफ रिकॉर्ड का अद्यतन	Mgr.CF/ Mgr. -LS/BPM
व्यापार योजना	FPG/ CLF / नोडल VO एवं संबंधित जीविकाकर्मी
व्यापार योजना का मूल्यांकन	LHS/BPM
आदानों (inputs) की खरीद	VO/ नोडल VO मत्स्य समिति
निधी उपलब्धता	DPM/ FM/ Mgr.-LS
विपणन	FPG/ BPM/ Mgr.-LS
आर्थिक गतिविधियों की निगरानी एवं रिपोर्टिंग	VO/ Nodal VO/मत्स्य समिति/ BPM/ Mgr.-LS
MIS	DEO/ BPM/ Mgr.-LS
उपयोगिता प्रमाणपत्र	CLF/ Nodal VO/ BPM

8. मूल्यांकन और निगरानी:-

8.1. VO/नोडल VO द्वारा मूल्यांकन का आधार:

1. खरीददारी
2. भुगतान
3. उत्पादन
4. विपणन
5. आधारभूत संरचना
6. मत्स्य सखी का कार्य एवं उनका मानदेय।

8.2. मूल्यांकन का स्तर:-

1. आंतरिक मूल्यांकन: इसमें VO/नोडल VO समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों का मूल्यांकन किया जायेगा। यह कार्य हर फसल चक्र के उपरांत किया जायेगा।
2. अंकेक्षण: VO/नोडल VO स्तर पर गठित सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा गतिविधि पर होने वाली व्यय का अंकेक्षण किया जायेगा।

8.3 निरीक्षण एवं नवीनीकरण:-

- ❖ जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जिला अंतर्गत आवंटित जलाशयों के निरीक्षण अनुलग्नक प्रपत्र - 4 अनुसार प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।
- ❖ निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जलाशयों के आवंटन का नवीनीकरण किया जायेगा।

9. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के साथ अभिसरण:-

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा निर्गत राज्यादेश के आलोक में मत्स्य पालन संबंधित विभिन्न प्रकार की अनुदानित योजनायें स्वीकृत की जाती हैं। प्रासंगिक योजना के तहत भी विभाग द्वारा चलाए जा रहे / जाने वाले अनुदान संबंधी योजनाओं का लाभ VO/ नोडल VO को अभिसरण कर दिलाया जायेगा। इसके तहत राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर कमिटी बनायी गयी है, जो समय-समय पर बैठक कर अभिसरण कार्यों को सुनिश्चित कराएगी।

स्तर	जीविका	पशु और मत्स्य संसाधन	जिम्मेदारी / कार्य
राज्य	CEO, Addl. CEO, राज्य पशुधन टीम	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा, योजनाओं का अभिसरण
जिला	DPM, पशुधन प्रबंधक	जिला मत्स्य अधिकारी	जलाशयों का आवंटन, नवनिर्मित एवं जीर्णोधार जलाशयों की सूची, योजनाओं का अभिसरण एवं तकनीकी सहायता

10. बजटीय प्रावधान:-

1. VO/ नोडल VO को DPCU द्वारा CID एवं CIF राशि की उपलब्धता, FPG's के आवश्यकता और प्राप्त व्यापार योजना के आकलन पर किया जाना है।
2. VO/ नोडल VO को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि CID तथा CIF के पूँजीगत लागत (A) को अग्रिम (Advance) के रूप में बुक किया जायेगा।
3. CIF के तहत कार्यशील पूँजी (working capital) व्यय (Expenditure) के रूप में बुक होगा जिसका उपयोग आवर्ती पूँजी (RF) के रूप में किया जायेगा।

4. सभी व्यापार योजना (Business Plan) हेतु CID एवं CIF के तहत उपलब्ध करायी जाने वाली राशि सिर्फ एक बार देय होगी।

5. CIF के तहत उपलब्ध करायी जाने वाली राशि व्यापार योजना के अनुसार होगी जो कि गतिविधि एवं जलाशयों के क्षेत्रफल पर आधारित होगी।

6. VO/ नोडल VO को अधिकतम ₹ 10 लाख की राशि निर्गत की जा सकती है।

CID निधि

CLF/ नोडल VO में वार्षिक CID राशि का आवंटन						
क्र.सं.	विवरण	मद	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)	
1	बैठक पर व्यय	CID	12	300	3600	
2	लेखन सामग्री	CID		LS	4000	
3	सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	CID		LS	4000	
4	बुक कीपर की प्रोत्साहन राशि	CID	12	100	1200	
Total					12,800	

CIF निधि (आवश्यकतानुसार)

A) 1 हेक्टेयर क्षेत्र के तालाब मत्स्य जीरा पालन (fry to finger ling) हेतु आवंटित राशि

1) पूंजीगत लागत - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)							
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)	
1.1	बोरवेल, पंप सेट, इनलेट, आउटलेट का रख-रखाव, बिजली कनेक्शन, इत्यादी	CIF	LS			1,00,000	
1.2	वजन करने हेतु डिजिटल मशीन	CIF	LS			4,000	
नोट	उपरोक्त पूंजीगत लागत अधिकतम है एवं इस राशी का संवितरण आवंटित तालाब के आवश्यक संसाधनों के आकलन के उपरांत ही किया जायेगा।						

2) कार्यशील पूंजी एक चक्र हेतु - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)

क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)	
	तालाब प्रबंधन						
2.1	खर-पतवार एवं कीड़ों की निकासी, सफाई, पानी भरने हेतु लागत	CIF			L.S	25000	
2.2	उर्वरक (Urea, SSP, potash इत्यादी), गोबर	CIF	10	Ton	1000	10000	
2.3	चुना	CIF	400	K.G	20	8000	

	बीज संचयन					
2.4	मत्स्य बीज (Early fry) - 2 लाख बीज/ हेक्टेयर ₹ 200/एक हजार बीज (परिवहन सहित)	CIF	5	Lakh	20000	100000
	मत्स्य आहार					
2.5	25 से 30 हफ्तों के लिए आहार	CIF	45000	K.G	45	202500
	रोग प्रबंधन एवं अन्य निवारक उपाय					
2.6	दवा (therapeutic & prophylaxis agent)	CIF	LS		10000	10000
2.7	पक्षियों एवं सांप से मत्स्य बीज के रक्षण हेतु तालाब पर जाल का अच्छादन	CIF	LS		10000	10000
2.8	हर पखवाड़ा जाल चलने हेतु लागत	CIF	LS		12000	12000
2.9	अन्य खर्च	CIF	LS		10000	10000
2.10	योग					3,87,500
2.11	कुल योग					4,91,500

B) 1 हेक्टेयर क्षेत्र के जलाशयों में मत्स्य पालन (Fingerling to table fish) हेतु आवंटित राशि

1) पूंजीगत लागत - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)						
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)
1.1	बोरवेल , पंप सेट , इनलेट ,आउटलेट का रखरखाव, बिजली कनेक्शन, इत्यादी	CIF	LS			1,00,000
1.2	वजन करने हेतु डिजिटल मशीन					4,000
नोट -	उपरोक्त पूंजीगत लागत अधिकतम है एवं इस राशी का संवितरण आवंटित तालाब के आवश्यक संसाधनों के आकलन के उपरांत ही किया जायेगा।					
2) कार्यशील पूंजी एक चक्र हेतु - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)						
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)
	बीज संचयन					
2.1	मत्स्य बीज (Advance fingerlings Size ≥ 50 gms. 5000 No. = 250 K.G	CIF	250	K.G.	300	75000
	उर्वरक एवं जैविक खाद					
2.2	चुना	CIF	400	K.G.	20	8000

2.3	सरसों कि खल्ली	CIF	0.5	Ton	20000	10000	
	मत्स्य आहार						
2.4	Sinking pellet Feed/ Floating Feed (for last qr.)	CIF	6000	K.G.	42	252000	
	दवा एव अन्य रसायन						
2.5	KMnO ₄ , Probitics, Mineral mixture, Therapeutic agent etc.	CIF			LS	25000	
2.6	अन्य खर्च	CIF			LS	10000	
2.7	योग						3,80,000
2.8	कुल योग						4,84,000

C) 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मत्स्य सह बत्तक पालन (Fish-Cum-Duck) हेतु आवंटित राशि


1) पूंजीगत लागत - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)						
क्र सं	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)
1.1	बत्तक घर	अभिसरण के द्वारा				
1.2	बोरवेल, पंप सेट, इनलेट, आउटलेट का रख-रखाव, बिजली कनेक्सन, इत्यादि	CIF	LS			1,00,000
1.3	वजन करने हेतु डिजिटल मशीन	CIF	LS			4,000
					Total	1,04,000
नोट -	उपरोक्त पूंजीगत लागत अधिकतम है एव इस राशि का संवितरण आवंटित तालाब के आवश्यक संसाधनों के आकलन के उपरांत ही किया जायेगा।					
2) क्रियाशील पूंजी एक चक्र हेतु - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)						
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)
	मत्स्य					
2.1	मत्स्य बीज	CIF	250	K.G.	300	75000
2.2	चुना	CIF	400	K.G.	20	8000
2.3	सरसों कि खल्ली	CIF	0.5	Ton	20000	10000
2.4	दवा	CIF			LS	35000
2.5	दाना	CIF	2	Ton	45	90000

	बत्तक					
2.5	बत्तक मूल्य	CIF	500	Nos	75	37500
2.6	बत्तक आहार	CIF	1500	Kg	30	45000
2.7	दवा एव टीका	CIF			LS	27500
2.8	liter नेट एव मजदूर	CIF			LS	12500
2.9	अन्य खर्च	CIF			LS	10000
2.10	योग					3,50,500
2.11	कुल योग					4,54,500

मत्स्य पालन गतिविधि हेतु समय सीमा

क्र. स.	गतिविधि	समय सीमा
1	जिला प्रशासन द्वारा आवंटन योग्य तालाबों की सूची	दिन -01
2	प्रखंड परियोजना कर्मी द्वारा तालाबों का सत्यापन	दिन -07
3	DM द्वारा तालाबों का नोडल VO/ VO में आवंटन	दिन -14
4	अ) नोडल VO/ VO में मत्स्य उप-समिति का गठन (VO के OB सदस्य)	दिन- 14
5	आ) मत्स्य सखी के चयन हेतु विज्ञापन	दिन- 14
6	मत्स्य उप-समिति द्वारा मत्स्य उत्पादक समूह का गठन एव लाभुकों का चयन	दिन- 24
7	प्रत्येक उत्पादक समूह में से एक प्रतिनिधि का मत्स्य उप-समिति में जुड़ाव	दिन- 30
8	मत्स्य सखी का चयन (CLF/ Nodal VO द्वारा)	दिन- 40
9	मत्स्य सखी का प्रशिक्षण	दिन- 52
10	तालाब स्तर पर संसाधनों की मैपिंग	दिन- 58
11	PG/नोडल VO/VO द्वारा चयनित गतिविधि के व्यापार योजना का BPIU में प्रस्ताव	दिन- 65
12	निधी संवितरण के लिए BPIU द्वारा DPCU में आवेदन	दिन- 68
13	Mgr.Livestock द्वारा व्यापार योजना का मूल्यांकन कर निधि संवितरण के लिए अनुशंसा	दिन- 72
14	FM/ DPM द्वारा नोडल VO/ VO में निधि संवितरण	दिन- 82
15	मत्स्य सखी द्वारा PG सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	दिन- 85
16	तालाब स्तर पर मत्स्य पालन गतिविधि का आरंभ	दिन- 90

निर्गत किए जा रहे क्रियान्वयन अनुदेश को समय-समय पर सामुदायिक संगठनों से प्राप्त मंतव्य एवं क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक संशोधन किया जायेगा।


16.06.2024

(राजीव रीशन)

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

अनुलग्नक -

- 1.आवंटन हेतु जलाशयों की सूची हेतु प्रपत्र
- 2.आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रपत्र
- 3.आवंटन पत्र
- 4.निरीक्षण प्रतिवेदन
- 5.A से 5.C - व्यापार योजना
- 6.मत्स्य सखी के कार्य, चयन मापदंड एव मासिक भुगतान

प्रतिलिपि:

1. Director, OSD, AO
2. All PCs, SPMs, PMs
3. All DPMs, FMs, M-Livestock
4. IT Section
5. Concerned File

आवंटन हेतु जलाशयों की सूची हेतु प्रपत्र

क्र.सं.	जलाशय का यूनिक कोड जल-जीवन-हरियाली अनुसार	जलाशय का नाम एव पता	सम्बंधित जलाशय के स्वामित्व विभाग का नाम	जलाशय का क्षेत्रफल (एकड़ में)	GPS लोकेशन (निर्देशांक सहित)

संबंधित जिलाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एव मोहर

दिनांक:-



आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रपत्र

क्र.सं.	जलाशय का यूनिक कोड जल-जीवन-हरियाली अनुसार	जलाशय का नाम एव पता	संकुल स्तरीय संघ / नोडल ग्राम संगठन का नाम एव पता	जलाशय का क्षेत्रफल (एकड़ में)	GPS लोकेशन निर्देशांक सहित

दिनांक:

जिला परियोजना प्रबंधक
(जीविका का हस्ताक्षर एव मोहर)



आवंटन पत्र

सेवा में

अध्यक्ष महोदय,

_____ ग्राम संगठन,

विषय – जलाशय आवंटन के सम्बन्ध में

महाशय ,

जीविका _____ (जिला नाम) द्वारा प्रेषित अनुशंसा पत्र संख्या _____, दिनांक / / के सन्दर्भ में _____ ग्राम संगठन (ग्राम संगठन का नाम) को रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु _____ (जलाशय का नाम एवं यूनिक कोड) जिसका क्षेत्रफल _____ एकड़ है, अगले 5 वर्षों के लिए निःशुल्क आवंटित किया जा रहा है | संबंधित जलाशय _____ (पता) में स्थित है |

*सफल क्रियान्वयन के आकलन के आधार पर आवंटन की अवधि पांच वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकती है | निर्धारित शर्तों के उल्लंघन अथवा विधि विरुद्ध क्रियान्वयन कि स्थिति में संक्षिप्त नोटिस पर आवंटन रद्द किया जा सकता है |

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एव मोहर

दिनांक:

निरीक्षण प्रतिवेदन

जलाशय का नाम एवं पता _____

यूनिक कोड _____

ग्राम संगठन का नाम एवं पता _____

क्र.सं.		समीक्षा फल (संतुष्ट / सुधार अपेक्षित)
1	जलापूर्ति	
I.	प्रमुख जल स्रोत	
II.	प्रमुख फीडर कैनल	
III.	अन्य जल स्रोत	
2	जलाशय	
I.	जल स्तर	
II.	जल गुणवत्ता	
III.	बांधों की स्थिति	
IV.	गहराई	
V.	इनलेट कि स्थिति	
VI.	आउटलेट कि स्थिति	
VII.	जलकुम्भी / कुम्भी कि स्थिति	
VIII.	अतिक्रमण कि स्थिति	
IX.	आर्थिक गतिविधियों को sublet किया गया (हाँ/नहीं)	
X.	रख रखाव एवं प्रबंधन की गुणवत्ता का स्तर	
3	मत्स्य	
I.	मत्स्य प्रजाति	
II.	पूरक आहार प्रयोग	
III.	मत्स्य उत्पादन (क्विंटल में)	
IV.	मत्स्य उत्पादन से वार्षिक आय(वर्ष)	
V.	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियों से वार्षिक आय(वर्ष)	
VI.	मत्स्य उत्पादन हेतु व्यय.....(वर्ष)	
VII.	शुद्ध बचत(वर्ष)	

अनुशंसा:-

निरीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर एवं दिनांक



अनुलग्नक प्रपत्र 5.A

1 हेक्टेयर क्षेत्र के तालाब मत्स्य पालन (fry to fingerling) हेतु व्यापार योजना

1) पूंजीगत लागत - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)							
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)	
1.1	बोरवेल, पंप सेट, इनलेट, आउटलेट का रख-रखाव, बिजली कनेक्शन	CIF	LS			1,00,000	
1.2	वजन करने हेतु डिजिटल मशीन	CIF	LS			4,000	
नोट	उपरोक्त पूंजीगत लागत अधिकतम है एव इस राशी का संवितरण आवंटित तालाब के आवश्यक संसाधनों के आकलन के उपरांत ही किया जायेगा।						
2) क्रियाशील पूंजी एक चक्र हेतु (एक साल) - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)							
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)	
	तालाब प्रबंधन						
2.1	खर-पतवार एव कीड़ों की निकासी, सफाई, पानी भरने हेतु लागत	CIF			L.S	25000	
2.2	उर्वरक (Urea, SSP, potash इत्यादी), गोबर	CIF	10	Ton	1000	10000	
2.3	चुना	CIF	400	K.G	20	8000	
	बीज संचयन						
2.4	मत्स्य बीज (Early fry) - 2 लाख बीज/ हेक्टेयर ₹ 200/एक हजार बीज (परिवहन सहित).	CIF	5	Lakh	20000	100000	
	मत्स्य आहार						
2.5	25 से 30 हफ्तों के लिए आहार	CIF	45000	K.G	45	202500	
	रोग प्रबंधन एव अन्य निवारक उपाय						
2.6	दवा (therapeutic & prophylaxis agent)	CIF	LS		10000	10000	
2.7	पक्षियों एव सांप से मत्स्य बीज के रक्षण हेतु तालाब पर जाल का अच्छादन	CIF	LS		10000	10000	
2.8	हर पखवाड़ा जाल चलने हेतु लागत	CIF	LS		12000	12000	
2.9	अन्य खर्च	CIF	LS		10000	10000	
2.10	योग					3,87,500	
2.11	कुल योग					4,91,500	

नोट - तालाब के रख रखाव हेतु VO/ नोडल VO में मद का सृजन कर सदस्यों द्वारा शुद्ध आय के 5% राशी जमा करायी जाएगी।

उत्पादन एवं आय			
1	जीवन दर (Survival)	%	60%
2	कुल उत्पादन	K.G.	3000
3	बिक्री मूल्य	₹ / K.G.	200
4	खर्च (पूँजीगत लागत सहित)	Lakh ₹	3.87
5	सकल आय	Lakh ₹	6
6	शुद्ध आय	Lakh ₹	2.13
7	अनुमानित तालाब रखरखाव लागत (शुद्ध आय का 5%)	Thousand ₹	10.65



अनुलग्नक प्रपत्र 5.B

1 हेक्टेयर क्षेत्र के तालाब मत्स्य पालन (Grow out pond) हेतु व्यापार योजना

1) पूंजीगत लागत - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)						
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)
1.1	बोरवेल, पंप सेट, इनलेट, आउटलेट का रख-रखाव, बिजली कनेक्शन	CIF	LS			1,00,000
1.2	वजन करने हेतु डिजिटल मशीन	CIF	LS			4,000
नोट -	उपरोक्त पूंजीगत लागत अधिकतम है एव इस राशी का संवितरण आवंटित तालाब के आवश्यक संसाधनों के आकलन के उपरांत ही किया जायेगा।					
2) क्रियाशील पूंजी एक चक्र हेतु - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)						
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)
	बीज संचयन					
2.1	मत्स्य बीज (Advance fingerlings Size \geq 50 gms. 5000 nos = 250 K.G	CIF	250	K.G.	300	75000
	उर्वरक एव जैविक खाद					
2.2	चुना	CIF	400	K.G.	20	8000
2.3	सरसों कि खल्ली	CIF	0.5	Ton	20000	10000
	मत्स्य आहार					
2.4	Sinking pellet Feed/ Floating Feed (for last qr.)	CIF	6000	K.G.	42	252000
	दवा एव अन्य रसायन					
2.5	KMnO ₄ , Probitics, Mineral mixture, Therapeutic agent etc.	CIF			LS	25000
2.6	अन्य खर्च	CIF			LS	10000
2.10	योग					3,80,000
2.11	कुल योग					4,84,000

उत्पादन एवं आय			
1	जीवन दर (Survival rate)	%	80%
2	कुल उत्पादन	K.G.	4000
3	बिक्री मूल्य	₹ / K.G.	150
4	खर्च (पूँजीगत लागत सहित)	Lakh ₹	3.80
5	सकल आय	Lakh ₹	6
6	शुद्ध आय	Lakh ₹	2.2
7	अनुमानित तालाब रखरखाव लागत (शुद्ध आय का 5%)	Thousand ₹	11

नोट - तालाब के रख रखाव हेतु VO/ नोडल VO में मद का सृजन कर सदस्यों द्वारा शुद्ध आय के 5% राशि जमा करायी जाएगी।



अनुलग्नक प्रपत्र 5.C

1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मत्स्य सह बत्तख पालन (Fish-Cum-Duck) हेतु व्यापार योजना

1) पूंजीगत लागत - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)								
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)		
1.1	बत्तक घर	अभिसरण के द्वारा						
1.2	बोरवेल, पंप सेट, इनलेट, आउटलेट का रख-रखाव, बिजली कनेक्शन	CIF	LS			1,00,000		
1.3	वजन करने हेतु डिजिटल मशीन	CIF	LS			4,000		
					Total	1,04,000		
नोट -	उपरोक्त पूंजीगत लागत अधिकतम है एवं इस राशि का संवितरण आवंटित तालाब के आवश्यक संसाधनों के आकलन के उपरांत ही किया जायेगा।							
2) क्रियाशील पूंजी एक चक्र हेतु - 1 हेक्टेयर क्षेत्र (CIF)								
क्र.सं.	विवरण	मद	मात्रा / हेक्टेयर	इकाई	लागत प्रति इकाई (₹)	कुल लागत (₹)		
	मत्स्य							
2.1	मत्स्य बीज	CIF	250	K.G.	300	75000		
2.2	चुना	CIF	400	K.G.	20	8000		
2.3	सरसों कि खल्ली	CIF	0.5	Ton	20000	10000		
2.4	दवा	CIF			LS	35000		
2.5	दाना	CIF	2	Ton	45	90000		
	बत्तक							
2.5	बत्तक मूल्य	CIF	500	Nos	75	37500		
2.6	बत्तक आहार	CIF	1500	Kg	30	45000		
2.7	दवा एवं टीका	CIF			LS	27500		
2.8	liter नेट एवं मजदूर	CIF			LS	12500		
2.9	अन्य खर्च	CIF			LS	10000		
2.10		योग					3,50,500	
2.11		कुल योग					4,54,500	

उत्पादन एवं आय			
1	अंडा उत्पादन (500 बत्तक × 200 दिन* =100000 अंडा , 1 लाख अंडा× ₹ 5)	Lakh ₹	5
2	मछली उत्पादन 2500 kg@ ₹150/kg	Lakh ₹	3.75
3	बत्तक मांस 250kg@ ₹100/kg	Lakh ₹	0.25
4	खर्च (पूजीगत लागत सहित)	Lakh ₹	3.5
5	सकल आय	Lakh ₹	9
6	शुद्ध आय	Lakh ₹	5.5
7	अनुमानित तालाब रखरखाव लागत (शुद्ध आय का 5%)	Thousand ₹	27.5
* सामान्य स्तर पर एक बत्तक सालाना 210 दिन अंडा उत्पादित करता है मृत्यु दर एव लिंग अनुपात ध्यान में रखते हुए 200 दिन अनुमानित किया गया है			

नोट – तालाब के रख रखाव हेतु VO / नोडल VO में मद का सृजन कर सदस्यों द्वारा शुद्ध आय के 5% राशि जमा करायी जाएगी |



मत्स्य सखी का कार्य -

• उत्पादक समूह का गठन
• लाभुको का चयन
• बेसलाइन सर्वे
• उत्पादक समूह के गठन में सहयोग
• उत्पादक समूह के उत्पादन कैलंडर, निकासी कैलंडर, अदायगी तथा वसूली योजना तैयार करना
• प्रशिक्षण देना
• तालाब की तैयारी करना (तालाब मरम्मती एवं पूर्व संचयन प्रबंधन)
• बीज लाना एवं वितरण करना
• बीज संचयन
• सैंपलिंग (जल, रोग एवं वृद्धि परीक्षण)
• आहार एवं खाद प्रयोग का आकलन
• आदानों (Inputs) का वितरण एवं उसकी विवरणी तैयार करना
• मछली निकासी में सहयोग एवं उत्पादन का विवरणी
• गतिविधि संबंधी बुक्स ऑफ़ रिकॉर्ड (BoR) अद्यतन करना
• संग्रहण, विपणन एवं आमदनी का विवरणी में सहयोग

चयन मापदंड

मत्स्य सखी का चयन CLF/ नोडल VO स्तर पर निम्न मापदंडों पर किया जायेगा-

1. उसमें बोलने, सुनने-समझने तथा संप्रेषण की अच्छी क्षमता होनी चाहिए।
2. FPG's को सहयोग प्रदान करने हेतु कार्य क्षेत्र में यात्रा करने के लिए तैयार हो।
3. न्यूनतम आयु 18 वर्ष की हो।
4. पढ़ने, लिखने और अंकगणितीय गणनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए।
5. शैक्षणिक योग्यता कम-से-कम 10 वीं पास।
6. मत्स्य अधिकारियों से परामर्श और निदेश प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए।
7. वैसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया जायेगा जिन्होंने मत्स्य पालन सम्बन्धी अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

मत्स्य सखी के मासिक मानदेय की भुगतान प्रक्रिया:-

- मत्स्य सखी के मासिक भुगतान हेतु संबंधित CLF/ नोडल VO द्वारा अगले 3 महीनों के लिए मांगपत्र (indent) BPIU में जमा करना होगा।
- मांगपत्र में उसकी सेवाओं के आधार पर स्थायी मानदेय और प्रोत्साहन राशि दोनों शामिल होंगे (यह एक अनुमानित राशि होगी)।
- मत्स्य सखी का मानदेय वास्तविक काम के आधार पर संबंधित परियोजना के कैडर मानदेय मद के तहत बुक किया जाएगा।

मत्स्य सखी मासिक भुगतान प्रपत्र (माह - _____)

मत्स्य सखी का नाम _____ गाँव _____

CLF/ नोडल Vo का नाम _____ जिला _____

FPG का नाम _____

कार्य आधारित राशि:

क्र.सं.	निष्पादित किये जाने वाले कार्य	प्रति यूनिट दर (₹)	संख्या / PG	कुल राशि (₹)	कार्य संख्या	कुल देय राशि (₹)
1	लाभुको का चयन	10 / लाभुक				
2	बेसलाइन सर्वे	25 ₹ / लाभुक				
3	उत्पादक समूह के गठन में सहयोग	50 ₹ / उत्पादक समूह				
4	उत्पादक समूह के उत्पादन कैलेंडर, निकासी कैलेंडर, अदायगी तथा वसूली योजना तैयार करना	50 ₹ / लाभुक				
5	प्रशिक्षण देना	100 ₹ / उत्पादक समूह				
6	तालाब की तैयारी करना (तालाब मरम्मती एवं पूर्व संचयन प्रबंधन)	25 ₹ / लाभुक				
7	बीज लाना एवं वितरण करना	25 ₹ / लाभुक				
8	बीज संचयन	25 ₹ / लाभुक				
9	सैंपलिंग (जल, रोग एवं वृद्धि परीक्षण)	50 ₹ / माह / लाभुक				
10	आहार एवं खाद प्रयोग का आकलन	20 ₹ / 15 दिन पर / लाभुक				
11	आदानों का वितरण एवं उसकी विवरणी तैयार करना	50 ₹ / लाभुक				
12	मछली निकासी में सहयोग एवं उत्पादन का विवरणी	50 ₹ / लाभुक				
13	संग्रहण, विपणन एवं आमदनी का विवरणी में सहयोग	50 ₹ / लाभुक				
	कुल					

स्थायी मानदेय – 4000/माह

_____ माह के लिए कुल भुगतान राशि ₹ _____ शब्दों में _____
CLF/Nodal VO का मोहर -----

अध्यक्ष / सचिव का नाम एवं हस्ताक्षर

कोषाध्यक्ष का नाम एवं हस्ताक्षर

परियोजना कर्मी

प्रखंड परियोजना प्रबंधक

संसाधन फीस (CRP Honorarium)

- प्रखंड के अन्दर- 350/- (250/- संसाधन फीस + 100/- भोजन के लिए) प्रति दिन
- जिले के अन्दर -450/- (350/- संसाधन फीस + 100/- भोजन के लिए) प्रति दिन
- जिले से बहार -500/- (400/- संसाधन फीस + 100/- भोजन के लिए) प्रति दिन
- यात्रा भत्ता- वास्तविक व्यय (बस, ट्रेन स्लीपर और द्वितीय श्रेणी)
- भत्ता CLF/नोडलVO में पारित होने के बाद ही मिलेगा

